

लगान धार्य वाद सं०- 41/2020-21

-: आदेश :-

अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, महेशपुर के पत्रांक-218/रा०, दिनांक-22.03.2021 के द्वारा लगान धार्य अभिलेख सं०-10/2020-21 से लगान निर्धारण संबंधी प्रपत्र एम० सहित प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। अभिलेख का अवलोकन किया गया। हल्का कर्मचारी/अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन अनुसार प्रश्नगत भूमि मौजा-चापतुड़ा, थाना सं०-288, जमाबंदी खाता नं०-107/38 अन्तर्गत दाग सं०-17 कुल रकवा 00बी०-01क०-16धूर भूमि में से रकवा 00बी०-00क०-12धूर भूमि तथा दाग सं०-18 कुल रकवा 00बी०-11क०-10धूर भूमि में से रकवा-00बी०-01क०-16½ धूर कुल रकवा-00बी०-02क०-8½धूर भूमि किस्म वास्तु-सह- आगन जो विगत सर्वे खतियान में रैयत परव बेवा, पति- विपिन लेट के नाम से खतियान में दर्ज है।

आवेदक रतन लेट पिता-स्व० गोसाई लेट, सा०-चापतुड़ा, थाना-महेशपुर, जिला-पाकुड़ का मौजा-चापतुड़ा, थाना सं०-288, जमाबंदी खाता नं०-107/38 अन्तर्गत दाग सं०-17 कुल रकवा 00बी०-01क०-16धूर भूमि में से रकवा 00बी०-00क०-12धूर भूमि तथा दाग सं०-18 कुल रकवा 00बी०-11क०-10धूर भूमि में से रकवा 00बी०-01क०-16½ धूर कुल रकवा-00बी०-02क०-8½धूर भूमि जो निबंधित केवाला सं०-3684/दिनांक-02.07.2015 के माध्यम से क्रय किया है। जिसपर आवेदक का शांतिपूर्ण दखल कब्जा है। अंचल अधिकारी महेशपुर ने प्रश्नगत भूमि का लगान निर्धारण करने का स्पष्ट अनुशंसा की है। इस कार्यालय द्वारा मौजा के सोलह आना रैयतों को प्रोसेस पियून के माध्यम से नोटिस निर्गत किया गया। नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। निर्गत नोटिस के बाद किसी भी व्यक्ति के द्वारा कोई आपत्ति दाखिल नहीं की गई है।

अतः अंचल अधिकारी महेशपुर के अनुशंसा एवं राजस्व आय में वृद्धि हेतु प्रश्नगत भूमि का 2/- (दो रुपये) प्रति वर्ष वार्षिक (अलावे शेष) लगान की दर से रकवा-00बी०-02क०-8½ धूर भूमि का आवेदक रतन लेट पिता-स्व० गोसाई लेट, सा०-चापतुड़ा, थाना- महेशपुर, जिला-पाकुड़ के नाम करने की अनुशंसा करते हुए स्वीकृति दी जाती है। लगान जमीन्दारी उन्मूलन की तिथि से वसूलनीय होगा। प्रपत्र एम० में हस्ताक्षर कर दिया गया है। प्रपत्र एम० एवं आदेश की प्रति अंचल अधिकारी, महेशपुर को अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजे।

लेखापित एवं संशोधित।

भूमि सुधार उप समाहर्ता,
पाकुड़।

भूमि सुधार उप समाहर्ता,
पाकुड़।

